न्यायालय न्यायनिर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट कोटपूतली
(कोटपूतली–बहरोड)

पीठासीन अधिकारी :– ओम प्रकाश सहारण (आर.ए.एस)
प्रार्थना पत्र संख्याः– 155/2025

शशिकांत शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्या. मुख्य चि एवं स्वा.अधिकारी कोटपूतली–बहरोड

–आवेदक

बनाम

1. श्री किशन लाल मीणा पुत्र श्री बनवारी लाल मीणा, उम्र 55 वर्ष (खाद्य विक्रेता) निवासी पुराना रोड पावटा, जिला–कोटपूतली बहरोड़ मैसर्स श्री यादव पताशा भंडार, पंसारी धर्मशाला के पास, पुराना रोड, पावटा, जिला–कोटपूतली बहरोड।

2. श्रीमती कमलेश यादव पत्नि श्री रामेश्वर प्रसाद यादव, उम्र 50 वर्ष, (खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक) निवासी वार्ड नं. 18, सुभाष चौक, पावटा, जिला–कोटपूतली–बहरोड। मैसर्स– श्री यादव पताशा भंडार पंसारी धर्मशाला के पास, पुराना रोड, पावटा, जिला–कोटपूतली–बहरोड।

–अभियुक्तगण

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 (2) (ii), /51 एवं 54 एफएसएस एक्ट 2006 रूल्स 2011

निर्णय

दिनांक 29/4/26

1. उपर्युक्त उनवानी संस्थित प्रकरण में परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा न्यायालय हाजा में इस आशय का पेश किया है कि मैं शशिकांत शर्मा दिनांक 10.03.2025 को कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कोटपूतली–बहरोड़ में खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य सम्पादन कर रहा था मुझे खाद्य सुरक्षा आयुक्त एंव निदेशक, राजस्थान सरकार चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा जरिये राजस्थान राज–पत्र अधिसूचना दिनांक 25.07. 2011 व 10.08.2011 द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी नियुक्त किया है जिसमें क्रम संख्या 41 पर मेरा नाम अंकित्त है एवं खाद्य सुरक्षा आयुक्त एंव निदेशक राजस्थान सरकार चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी राजस्थान राज–पत्र अधिसूचना दिनांक 18.08.2011 द्वारा कार्य क्षेत्र की सीमा निर्धारित्त की गई हैं। आयुक्त (खाद्य सुरक्षा) एंव निदेशक (जन, स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राजस्थान जयपुर के आदेश क्रमांक 101 दिनांक 15.01. 2025 द्वारा आवंटित कार्यक्षेत्र जिला कोटपूतली–बहरोड़ दिया है। सत्यापित्त छायाप्रति संलग्न है।
2. यह है कि दिनांक 10.03.2025 को दोपहर 4:30 बजे मुस्तगीस बाहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी दौराने गश्त खाद्य पदार्थों की चैकिंग हेतु सामान नमूनीकरण बैग सहित जाँच

अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली (कोटपूतली-बहरोड़)

दल के साथ मैसर्स– श्री यादव पताशा भंडार, पंसारी धर्मशाला के पास पुराना रोड, पावटा, जिला–कोटपूतली–बहरोड स्थित दुकान पर पहुँचे। उक्त समय उक्त स्थल पर विक्रेता श्री किशन लाल मीणा पुत्र श्री बनवारी लाल मीणा उम्र 55 वर्ष, स्वयं मौजूद रहकर खाद्य पदार्थ Milk Cake आमजन को बिक्री वास्ते रखे हुए थे। मैने उक्त विक्रेता को अपना परिचय देकर एवं परिचय पत्र दिखाकर उनसे उनका नाम एवं पता पूछा जिस पर गवाहन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्रीमती नेहा की उपस्थिति में विक्रेता द्वारा अपना नाम श्री किशन लाल मीणा पुत्र श्री बनवारी लाल मीणा उम्र 55 वर्ष, निवासी पुराना रोड, पावटा, जिला–कोटपूतली–बहरोड का होना बताया एवं स्वयं को उक्त खाद्य पदार्थ का विक्रेता होना बताया एवं मौके पर विक्रेता द्वारा स्वयं के आधार कार्ड की छायाप्रति प्रस्तुत की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। मैने उक्त विक्रेता से खाद्य पदार्थ विक्रय अनुज्ञापत्र/रजिस्ट्रेशन दिखाने को कहा जिस पर उक्त विक्रेता ने खाद्य रजिस्ट्रेशन नं० 12225026001084 होना पाया गया।

3. यह है कि उक्त स्थल का निरीक्षण करने पर निरीक्षण के दौरान दुकान उक्त स्थल पर रखे करीब 50 Box Milk Cake प्रत्येक Box में लगभग 2.5 किलोंग्राम कुल 125 किलोग्राम आमजन को बिक्री वास्ते रखा हुआ था, में मिलावट का शक होने पर गवाहन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्रीमती नेहा की उपस्थिति में विक्रेता श्री किशन लाल मीणा पुत्र श्री बनवारी लाल मीणा, को जरिये फार्म नं. 5ए (जिस पर विक्रेता एवं गवाहन के हस्ताक्षर एवं मेरे स्वंय के हस्ताक्षर है) सूचित करते हुए उक्त Milk Cake में से 2 किलो Milk Cake वास्ते नमूना जॉच हेतु एक साफ सूखी एवं खाली स्टील के बर्तन में क्रय किया। जिसकी कीमत विक्रेता को रु 300/– (अक्षरे तीन सौ रूपये मात्र) नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता एवं गवाहन के हस्ताक्षर एवं मेरे स्वंय के हस्ताक्षर है। फार्म नं. 5ए एवं रसीद माल खरीद न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

4. यह है कि नमूना जांच हेतु क्रय किये गये 2 किलो Milk Cake को एक रूप कर विक्रेता एवं गवाहान को चार साफ सूखी एवं खाली प्लास्टिक की बोतले दिखाकर उक्त खरीदशुदा मिल्क केक को प्रत्येक बोतल में बराबर भरकर प्रत्येक बोतल में परीरक्षक फार्मलीन की 40–40 बूंद डालकर एयरटाइट ढक्कन बन्द किया। लेबल तैयार कर उन पर विक्रेता, गवाहन के हस्ताक्षर करवाकर व मैने स्वयं ने हस्ताक्षर कर प्रत्येक बोतल पर चिपकाकर प्रत्येक बोतल को अलग–अलग मोटे खाकी कागज में लपेटकर एवं किनारों को सफाई से मोड़कर गोंद से चिपकाकर प्रत्येक बोतल पर पेपर स्लिप कोड़ एवं सीरीयल नं. AS–22 जो श्रीमान् डी. ओ. एवं मु. चि. एवं स्वा. अधिकारी कोटपूतली–बहरोड द्वारा हस्ताक्षरित मेरे पास उपलब्ध थी, को चारों बोतलों पर नीचे से उपर तक पूरे राउण्ड पर गोंद से चिपकाकर मोटे मजबूत धागे से बांधकर नियमानुसार 4–4 जगह उपर नीचे एवं दोनों साइडों पर सील चपडी कर प्रत्येक सील्ड नमूने पर विक्रेता के हस्ताक्षर इस तरह करवायें कि आधे हस्ताक्षर पेपर स्लीप पर व आधे खाकी कागज पर आ गये एवं गवाहन व स्वयं ने हस्ताक्षर कर चारों सील्ड नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया।

5. यह है कि मौके पर की गयी कार्यवाही की मौका फर्द रिपोर्ट तैयार कर उसे विक्रेता गवाहन को पढाकर, सुनाकर उनके हस्ताक्षर करवाये एवं मैंने स्वयं ने हस्ताक्षर किये। फर्द रिपोर्ट न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली (कोटपूतली-बहरोड़)

6. यह की उक्त समस्त कार्यवाही की हस्तलिखित मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की गयी जो कि न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।
7. यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने नमूना लेने पश्चात् शेष बचे मिल्क केक को विक्रेता श्री किशन लाल मीणा एवं गवाहन की उपस्थिति में दो कट्टों में भरकर, कट्टों को सील चपडी कर अग्रिम आदेशों तक विक्रेता की सुरक्षित अभिरक्षा में रखवा दिया गया एवं पाबन्द किया कि विभाग द्वारा मांगे जाने पर ज्यों का त्यो सुपुद्र कर देगा। जिसका फॉर्म नं. 3 भरकर पाबंद किया जों कि न्याय निर्णय आवेदन के साथ संलग्न है।
8. यह है कि कार्यालय में उपस्थित होकर फार्म नं. 6 की प्रतियां तैयार कर उन पर सील इम्प्रेशन उसी सील का लगाया जिसके द्वारा मौके पर नमूना सील मोहर किया था। नमूने की एक सील्ड बोतल मय फार्म नं० 6 की प्रति के एक आउटर कवर में सील मोहर कर एवं फार्म नं. 6 की दो प्रति अलग से एक लिफाफे में सील मोहर कर श्रीमान् खाद्य विश्लेषक, जयपुर को जमा करवाकर नमूना जमा रसीद एवं फार्म नं. 6 की पुश्त पर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।
9. यह है कि नमूने की दो सील्ड बोतल (द्वितिय व तृतीय भाग) को मय फार्म नं० 6 की दो प्रतियों के एक आउटर कवर में सील मोहर कर एवं नमूने की एक सील्ड बोतल (चतुर्थ भाग) मय फार्म नं० 6 की प्रति के श्रीमान् डी.ओ. एवं मु. चि. एवं स्वा. अधिकारी कोटपूतली–बहरोड को जमा करवाकर रसीदें प्राप्त की। जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।
10. यह है कि उक्त Milk Cake के नमूने की जांच रिपोर्ट उक्त विक्रेता को कार्यालय के रजिस्टर्ड पत्र क्रमांक–54/22.05.2025 द्वारा निजवायी गयी एवं मुझे जरिये श्रीमान् डी. ओ. एवं मु. चि. एवं स्वा. अधिकारी कोटपूतली–बहरोड के उक्त पत्र की प्रतिलिपि के द्वारा प्राप्त हुई। जांच रिपोर्ट के अनुसार उक्त नमूना एफएसएसए के मानकों के अनुसार नहीं होने से अवमानक खाद्य पदार्थ Substandard Food & Containing Extraneous Matter (Foreign Fat & Starch) Food) होना पाया गया है। जांच रिपोर्ट मय कवरिंग पत्र श्रीमान् डी.ओ. एवं मु. चि. एवं स्वा. अधिकारी कोटपूतली–बहरोड़ न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।
11. यह है कि मेरे द्वारा प्रकरण से संबंधित समस्त दस्तावेज श्रीमान अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कोटपूतली–बहरोड़ को वास्ते अग्रिम आदेश हेतु पेश किये जिन्होने प्रकरण के समस्त दस्तावेजो का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर एवं अध्ययन मनन कर अपने अभियोजन स्वीकृति पत्रांक 1.55/29.8.25 के द्वारा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त प्रकरण मे न्यायनिर्णयन आवेदन श्रीमान के समक्ष पेश करने हेतु प्राधिकृत किया है। उक्त अभियोजन स्वीकृति पत्रांक न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।
12. यह है कि उक्त अभियुक्त द्वारा अवमानक खाद्य पदार्थ (Substandard Food & Containing Extraneous Matter (Foreign Fat & Starch) Food) Milk Cake की बिक्री कर एफएसएसए 2006 की धारा 26 (2) (ii) एवं नियम व विनियम 2011 का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 एवं 54 में वर्णित है। अतः उपरोक्त आवेदन श्रीमान के समक्ष पेश कर निवेदन है कि उक्त अभियुक्त को अधिक से अधिक जुर्माने से दण्डित किया जावे।

अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली (कोटपूतली-बहरोड़)

13. आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा आवेदन प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को रजिस्र्डर्ड नोटिस जारी किये गये। बाद तामिल अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री रमाकान्त शर्मा एवं जयप्रकाश शर्मा द्वारा वकालतनामा पेश किया गया। अप्रार्थी अधिवक्ता को जबाब हेतु अनेक अवसर दिये गये इसके बावजूद भी ना तो जबाब पेश किया ना ही न्यायालय के समक्ष उपस्थित आये इसलिए अप्रार्थी की एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण को बहस हेतु नियत किया गया।

14. प्रार्थी पक्ष की ओर से उपस्थित सरकार पैरोकार की बहस सुनी गई। बहस पैरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि अवमानक एवं बाह्य पदार्थ युक्त खाद्य पदार्थ Milk Cake का विक्रय करके अप्रार्थी ने खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) का उल्लघंन किया है इसलिए अप्रार्थी को खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 एवं 54 में दण्डित किया जावें।

15. पत्रावली पर पैरोकार सरकार को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया तथा सम्बन्धित कानून के परिपेक्ष्य में मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात से यह साफ जाहिर है कि अप्राथी/अभियुक्त द्वारा अवमानक खाद्य पदार्थ (Substandard Food & Containing Extraneous Matter (Foreign Fat & Starch) Food) Milk Cake की बिक्री कर खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) का उल्लघंन किया है। अप्रार्थी की ओर से इस संबंध में कोई ठोस तथ्य प्रस्तुत नही हुये है, जिससे यह साबित हो सके कि उसके द्वारा ऐसा कोई कृत्य नहीं किया गया हो एवं अप्रार्थी एवं अप्रार्थी अधिवक्ता न्यायालय के समक्ष उपस्थित भी नहीं हुये। अतः उक्त कृत्य के लिए अभियुक्त को अधिनियम की धारा 51 एवं 54 के तहत दण्डित किया जाना न्याय संगत प्रतित होता है। अतः अभियुक्त/अप्रार्थी श्रीमती कमलेश यादव पत्नि श्री रामेश्वर प्रसाद यादव, उम्र 50 वर्ष, (खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक) निवासी वार्ड नं. 18. सुभाष चौक, पावटा, जिला–कोटपूतली–बहरोड। मैसर्स–श्री यादव पताशा भंडार पंसारी धर्मशाला के पास, पुराना रोड, पावटा,जिला–कोटपूतली–बहरोड पर 25000/- पच्चीस हजार मात्र शास्ति आरोपित की जाती है, जो जरिये चालान एक माह के अन्दर बैंक में जमा कराकर रसीद चालान पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हों। यह निर्णय आज दिनांक 29.4.21 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास में सुनाया गया।

न्याय निर्णायक अधिकारी
अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली (कोटपूतली-बहरोड)
कोटपूतली